

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

देईलाल बनाम नानू

मुकदमा 915 नं० ५१ सन् 2018

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>18 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24.7.18 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
<p>28.5.18 पत्रावली क्रमांक... जोडावरपुरा... को पेश हुई। आगामी दिनांक... को पेश हो।</p>	
<p>24-7-18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है। बदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22.5.18 को पेश हो।</p> <p>सिद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>23.8.18 पकील वाही द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिमाह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शां प. किया गया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि हमारे हीनो पक्षो के बीच राजीनामा हो चुका है। अब वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इस कारण वाद पत्र इसी स्ट्रेज पर खारिज फरमाया जाये।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। व्यापक में तकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर वादी के वाद पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने से अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादी का वाद पत्र इसी स्ट्रेज पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फौसल कुमार होकर दफतर हारिजल हो।</p> <p>सिद्ध उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>देईलाल बनाम नानू</p>